उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 31 / 2025–26 | दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नूर हसन,
दोराहा, बाजपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री नूर हसन का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3622112084455 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल मीटर रीडर द्वारा सही रीडिंग न लिए जाने के कारण गलत व अधिक आ रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकातय की गई, परन्तु बिल सही नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 17.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 27.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 27.05.2025, 10.06.2025, 25.06.2025 व 07.07.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1575 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के अनुरोध पर विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 15.12.2023 को उनके संयोजन पर स्थापित जले हुए विद्युत मापक को बदला गया, जिसके उपरांत माह 01/2024 में नये मापक की रीडिंग 301 केडब्लूएच के अनुसार रू0 5597.00 का विद्युत बिल प्रेषित किया गया। मीटर रीडर द्वारा पुनः त्रुटिवश उसको माह 02/2024 से माह 12/2024

क्रमशः 2.....

तक आईडीएफ के विद्युत बिल प्रेषित किए गये, जोकि गलत हैं। माह 12 / 2024 में पुनः परिवादी के विद्युत बिल को मापक की वर्तमान रीडिंग 4513 केडब्लूएच के अनुसार संशोधित कर रू0 21463.00 का बिल बनाया गया। वर्तमान में परिवादी के मापक की एमआरआई से प्राप्त रीडिंग 5384 के अनुसार रू0 19487.00 का बिल बनाया गया है।

इस मंच द्वारा विपक्षी विभाग से परिवादी के बिल में जोड़ी गई बर्न मीटर कॉस्ट रू0 799.00 का आधार एवं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2257 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा मंच को अवगत कराया है कि विभागीय टेस्ट लैब में इसके परीक्षण की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परीक्षण खण्ड द्वारा कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः माननीय विद्युत नियामक आयोग के विनियम 1.5 के बिन्दु संख्या 02 व 03 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या–2256 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा परिवादी के बिल में जोड़ी गई जले मापक की कीमत रू0 799.00 का समायोजन भी परिवादी को दे दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एमआरआई रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 50 / 2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूजा अरोरा वास्ते श्री अभिषेक तनेजा,
प्लॉट नं0–केवी7, अंगद देव काम्प्लेक्स के पीछे, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूजा अरोरा वास्ते श्री अभिषेक तनेजा का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा 10 किलोवाट के व्यवसायिक संयोजन हेतु दिनांक 24.05.2025 को विभागीय कार्यालय में सभी दस्तावेज जमा कर आवेदन किया गया था। विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर संयोजन जल्द ही निर्गत करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक विभाग की ओर से भुगतान हेतु कोई भी लिंक या सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो विभाग की ओर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से उनको 10 किलोवाट का नया व्यवसायिक संयोजन जल्द निर्गत कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 04.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.06.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2341 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के नये वाणिज्यक विद्युत संयोजन, विद्युत भार 10

क्रमशः 2.....

किलोवाट हेतु दिनांक 02.06.2025 को उपखण्ड कार्यालय स्तर से ऑनलाईन पंजीकरण किया गया था। परिवादिनी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को रसीद संख्या–3445209062528280006 के माध्यम से रू0 17000.00 का भुगतान किया गया था। नये संयोजन के सापेक्ष भुगतान प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 11.06.2025 को परिवादिनी के परिसर पर विद्युत मापक संख्या–जी7911643 स्थापित कर नया वाणिज्यक विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नये विद्युत संयोजन की सर्विस रिलीज की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 52/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सतविक सिन्हा,
जवाहर लाल नेहरू राजकीय हॉस्पिटल कैम्पस, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री सतविक सिन्हा का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके जवाहर लाल नेहरू राजकीय हॉस्पिटल कैम्पस, रूद्रपुर परिसर में विद्युत वोल्टेज सम्बन्धी समस्या लगातार बनी हुई है। परिसर में स्थापित डिजिटल स्टेबलाइजर्स पर देखा गया है कि विद्युत वोल्टेज 260–262 तक पहुंच जाती है, जिससे परिसर में स्थापित कई इलैक्ट्रानिक उपकरण खराब होने का खतरा बना रहता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर विद्युत वोल्टेज की समस्या का समाधान कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2514 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि जवाहर लाल नेहरू, राजकीय हॉस्पिटल केम्पस, रूद्रपुर में मै0 डिस्ट्रीक हॉस्पिटल के नाम पर 500 किलोवाट का विद्युत संयोजन संख्या–890K000003856 ऊर्जीकृत है। उक्त परिसर पर स्थापित 11 केवीए मीटरिंग के उपरांत उनके परिसर की एल0टी0

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–52 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

लाईन की सप्लाई का मैंन्टनेंस डिस्ट्रीक हॉस्पिटल द्वारा ही किया जाता है। दिनांक 08.06.2025 को रात्रि में डिस्ट्रीक हॉस्पिटल के परिसर पर उनकी एल0टी0 लाईन केबिल शॉर्ट हुआ था, जिसके बाद उनके परिसर पर कार्यरत लाईमैन (हॉस्पिटल कार्मिक) द्वारा ठीक किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी परिसर में 11 केवीए मीटरिंग के जरिए 500 किलोवाट क्षमता का विद्युत संयोजन निर्गत किया गया है, जिसमें विभागीय नियमानुसार 11 केवीए मीटरिंग के आगे एलटी साइड में स्थापित सिस्टम के मेंटेनेंस का दायित्व स्वयं अस्पताल प्रबंधन का है। इस संबन्ध में विपक्षी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन द्वारा एलटी केबिल में हुए शॉर्ट सर्किट को अपने कार्मिक द्वारा ठीक भी करा लिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 55/2025–26 दिनांक : 07.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगदीश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री माधवानन्द त्रिपाठी, परिवादी
दुर्गा मन्दिर, गुलरभोज, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री जगदीश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री माधवानन्द त्रिपाठी की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU7D107099897 (05 किलोवाट घरेलू) पर उनके द्वारा माह जुलाई 2024 में सोलर पैनल लगवाया गया था। उसके बाद से बिल प्राप्त होने में काफी कठिनाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को फिजीकल, व्हाट्सअप, मैसेज एवं ई–मेल के द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने शिविर के दौरान इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के उक्त परिसर पर सोलर पैनल स्थापित है जिसकी एम.आर.आई. के उपरान्त परिवादी को नियमित रूप से बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। परिवादी के अनुरोध पर फिजीकल बिल के अलावा टेक्स मैसेज एवं ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित किया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा इस मंच के समक्ष परिवादी को माह 05/2025 का बिल रू0 (–) 4157.00 भी उपलब्ध कराया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–55 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र पयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 57 / 2025–26 दिनांक : 07.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पंकज कुमार मण्डल पुत्र श्री पवित्र मण्डल,
वार्ड नं0 03, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री पंकज कुमार मण्डल पुत्र श्री पवित्र मण्डल की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU6D202188907 (01 किलोवाट व्यवसायिक) जो उनकी दुकान में स्थापित है। उनकी दुकान पिछले 02–03 माह से बन्द है फिर भी विभाग द्वारा अधिक बिल जारी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क करने पर बताया गया कि उनके संयोजन का भार 01 किलोवाट है तथा बिल में अधिक लोड प्रदर्शित होने के कारण फिक्स डिमाण्ड चार्ज अधिक लग रहा है, जिस वजह से बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त दुकान/परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत मीटर बदलवाने एवं वास्तविक विद्युत लोड के आधार पर बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी, गदरपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.06.2025 को प्रस्तुत करते हुए इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी की पिछले 02 माह से दुकान बन्द होने के उपरांत भी फ़िक्स डिमांड चार्ज अधिक लगाकर बिल प्रेषित किया गया है। परिवादी के विद्युत बिल की जांचोपरांत रू0 495.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी

क्रमशः 2.....

विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 53/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कामिनी पत्नी श्री शमशाद अली,
वार्ड नं0 04, शास्त्री नगर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कामिनी पत्नी श्री शमशाद अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892N154168076 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर में तकनीकी खराबी के कारण मीटर में मीटर रीडिंग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत मीटर बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2342 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक संख्या–40116564 की जांच के उपरांत उक्त मापक खराब पाया गया, जिसे सीलिंग प्रमाण संख्या–002/01090 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा से बदलकर नया विद्युत मापक संख्या–GU548583 स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मापक बदले जाने

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–53 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 60/2025–26 दिनांक : 07.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहन नाथ,
वार्ड नं0 03, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहन नाथ की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1D205221106 (02 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर/कालोनी में स्थापित है वहां वह वर्ष 2018 से निवास कर रहे है। उनके द्वारा जब उक्त संयोजन लिया गया था, तो विद्युत विभाग द्वारा केवल मीटर स्थापित किया गया है, जबकि सर्विस लाईन केबिल उनके द्वारा स्वयं लगवाई गई थी, जोकि उनके मकान से काफी दूर स्थित पोल से लगाई गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर विद्युत विभाग की केबिल नजदीकी पोल से जुड़वाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 25.06.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर तक विभागीय केबिल लगा दी गई है। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–60 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 61 / 2025–26 दिनांक : 07.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हरिपद मण्डल पुत्र श्री पद्दू मण्डल,
वार्ड नं0 01, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री हरिपद मण्डल पुत्र श्री पद्दू मण्डल की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2D204127216 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक प्रेषित किया जा रहा है इस सम्बन्ध में विभाग में कई बार सम्पर्क किया गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने पत्रांक 2239 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी के विद्युत बीजक को प्रो–रेटा आधार पर पर संशोधन किया गया, जिसके उपरांत परिवादी को रू0 58,823.00 का समायोजन देते हुए रू0 16,116.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है, जिसमें परिवादी द्वारा रू0 10,000.00 जमा भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–61 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 11 / 2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह, परिवादी
ग्राम बिरिया फार्म सिसैया, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामवीर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–881H333195982 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह अप्रैल 2021 से आईडीएफ के आधार पर जारी किया जा रहा है। इसकी शिकायत विभाग में की गई तो विभाग द्वारा माह नवम्बर 2023 में विद्युत मीटर बदल दिया गया, परन्तु विद्युत बिल सही नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आईडीएफ विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 16.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.05.2025, 10.06.2025, 26.06.2025 व 08.07.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1898 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस मंच को पुनः अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक माह 11/2020 के उपरांत आईडीएफ में निर्गत हुए हैं एवं मापक दिनांक 16.01.2022 को परिवर्तित हुआ है। वर्तमान में विद्युत मापक पर 8926 रीडिंग प्रदर्शित है। मंच के निर्देशानुसार परिवादी के आईडीएफ बिलों को औसत

क्रमशः 2.....

खपत 218 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर संशोधित करते हुए रू0 1,10,610.47 का संशोधित बिल बना दिया गया है। परिवादी द्वारा इसमें से दिनांक 11.06.2025 को रू0 50,000.00 का भुगतान कर दिया गया है, जिसके उपरांत वर्तमान में परिवादी पर रू0 60,610.47 का बिल भुगतान हेतु लंबित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 12/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रूकसार अली पुत्र श्री अफसर अली,
ग्राम दरऊ, तहसील किच्छा। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री रूकसार अली पुत्र श्री अफसर अली का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000009272 (10 किलोवाट व्यवसायिक) आटा चक्की के प्रयोजन हेतु लिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा अचानक खपत से अधिक रीडिंग के बिल जारी किए जाने पर उनके द्वारा अपने उक्त परिसर पर चैक मीटर भी लगवाया। चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार उनके मेन मीटर व चैक मीटर में कोई अन्तर नहीं पाया गया, लेकिन माह 12/2024 से 01/2025 तक का बिल रू0 22531.00 का बनाया गया। उक्त बिल में पिछले बिलों की तरह ही अधिक ओवर लोड भी दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गई है, परन्तु उनकी इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत मीटर की जांचोपरांत विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 16.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.04.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025, 26.05.2025, 09.06.2025 व 26.06.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्रीमती प्रियंका रानी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3019 दिनांक 24.06.2025 के

क्रमशः 2.....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला के अवर अभियंता द्वारा दिनांक 03.06.2025 को क्षेत्रीय अवर अभियंता के साथ परिवादी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिवादी परिसर पर मापक संख्या–357903 स्थापित था, जिसमें एल्युमीनियम की केबिल (4x6 sq.mm.) स्थापित पाई गई। मापक की एमआरआई से ज्ञात हुआ कि दिनांक 07.01.2025 को अधिकतम डिमांड 14.90 kw, 62.14 kva केवीए दर्शा रहा है। इस अधिकतम डिमांड (62.14 kva) के आधार पर मापक में बहने वाले करंट की गणना की जाए तो उसकी value 89.79 Amp. आती है। विद्युत परीक्षण खण्ड ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि "....उपरोक्त गणना से स्पष्ट होता है कि परिवादी परिसर पर उक्त डिमांड के अनुरूप उपरकण स्थापित नहीं है और न ही परिवादी की सर्विस केबिल एल्युमिनियम (4x6 sq.mm.) की क्षमता लगभग 30 A है, जोकि उपरोक्त ऊर्जा डिमांड के अनुसार उपभोग करने में सक्षम नहीं है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता मापक द्वारा ऊर्जा खपत की गणना सही प्रकार से नहीं की गई है....।"

विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 03.06.2025 के अनुक्रम में परिवादी के विद्युत मापक को माह 01 / 2025 से आईडीएफ मानते हुए माह 05 / 2025 तक के विद्युत बिल संशोधित किए गए, जिसमें परिवादी को रू0 33325.45 का समायोजन देते हुए रू0 17893.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट, संशोधित बिल की गणना, परीक्षण खंण्ड की जांच रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैठाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 33/2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, परिवादी
ग्राम प्रतापपुर नं0 03, नानकमत्ता, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री सोहन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–889M241000397 (08 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल गलत रीडिंग के आधार पर बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय के कई बार चक्कर लगाये परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जबकि उनके विद्युत बिल में पिछली रीडिंग 45210 तथा वर्तमान रीडिंग 25371 दर्शाते हुए बिल जारी किया जा रहा है, जिसमें लगभग 19839 रीडिंग का अंतर आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल को संशोधित कराकर बिल धनराशि को समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 20.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025, 10.06.2025, 26.06.2025 व 08.07.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–189 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजकों का अध्ययन करने पर पाया गया कि उनके विद्युत बीजक में मीटर रीडर द्वारा के.वी.एच. की रीडिंग अंकित की जा रही थी, जांचोपरांत

क्रमशः 2.....

उक्त मापक की एम.आर.आई. का अध्ययन भी किया गया, जिसमें माह 11/2023 में 24450 केडब्लूएच व 57156 केवीएएच में रीडिंग पाई गयी तथा एम.आर.आई. में उल्लेखित दिनांक 01.08.2022 को 23931 केडब्लूएच व 55383 केवीएएच रीडिंग दर्ज पायी गयी। परिवादी के बीजक में माह 12/2022 में 45210 केवीएएच अंकित करते हुए बीजक बनाया गया जो कि त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। दिनांक 15.12.2024 को एम.आर.आई. में 25371 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज पायी गयी एवं माह 06/2025 में 25770 केडब्लूएच रीडिंग खण्ड कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसको परिवादी के बीजक में अंकित करते हुए माह 06/2013 से वर्तमान तक के विद्युत बिल संशोधित करते हुए रू0 (-) 15221.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, एम.आर.आई. रिपोर्ट, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं कंज्यूमर लेजर की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 19/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह, परिवादी
ग्राम बमनपुरी, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2C410221297 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है इससे पहले भी बिल अधिक आने के सम्बन्ध में विभाग में शिकायत दर्ज करायी गयी थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वह इतने अधिक बिल से परेशान हो गये है। वह अपने उक्त संयोजन को बन्द कराना चाहते है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 28.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025, 26.05.2025, 09.06.2025, 25.06.2025 को परिवादिनी के प्रतिनिधि श्री दर्शन सिंह तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1849 दिनांक 13.05.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के संयोजन का कार्यालय ज्ञाप–2346 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा स्थाई विच्छेदन करते हुए रू0 20120.90 का अंतिम बिल जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप पीडी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–19/2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 46/2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गोपाल दास, परिवादी
ग्राम बराखेड़ा, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री गोपाल दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU90362009006 (7.50 किलोवाट नलकूप) पर स्थापित विद्युत मापक तेज गति से चल रहा था जिस कारण दिनांक 18.12.2023 को चैक मीटर लगवाया गया और दिनांक 12.01.2024 को उतारा गया। दोनों मापकों की तुलना करने पर पाया गया कि परिसर पर स्थापित पुराना मापक तेज गति से चल रहा है। इसके आधार पर बिल संशोधित किया जाना था, परन्तु विभाग द्वारा अभी तक बिल संशोधित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के बिल को चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 03.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.06.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2230 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक को परिवादी के परिसर पर लगे चैक मापक फाईनल रिपोर्ट (75 प्रतिशत तेज) के आधार पर संशोधित करते हुए उसे रू0 21017.00 का समायोजन दिया गया है, जिसके उपरांत रू0 68160.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मैथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 21/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती भावना पत्नी श्री त्रिलोचन सिंह,
छतरपुर नियर शिव मन्दिर, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती भावना पत्नी श्री त्रिलोचन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.04.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8968166699002 (02 किलोवाट व्यवसायिक) का अप्रैल माह का विद्युत बिल बहुत अधिक धनराशि का प्रेषित किया गया है। अक्टूबर 2024 से बिल अधिक आने की समस्या आ रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के पाठयांक की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.04.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 09.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.05.2025, 26.05.2025, 09.06.2025 व 26.06.2025 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2359 दिनांक 20.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा परिवादिनी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक संख्या–GU439852 के सापेक्ष सीलिंग संख्या–006/01075 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा चैक मापक संख्या–GU548792 जांच हेतु स्थापित किया गया तथा दिनांक 17.06.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार इस जांच में

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—21 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

परिवादिनी के मुख्य मापक एवं चैक मापक में बराबर खपत दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित मुख्य मापक सही है एवं ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। वर्तमान में (माह 06 / 2025) परिवादिनी पर विद्युत बिल रू0 3007.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट, विद्युत बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा 02 किलोवाट क्षमता का उक्त संयोजन दिनांक 07.10.2024 में लिया गया है, जिसकी प्रतिमाह विद्युत खपत लगभग 10 यूनिट तक रहता था, परन्तु अप्रैल 2024 में उक्त संयोजन के मीटर में उसकी मासिक खपत 201 यूनिट अंकित हुई। परिवादिनी की शिकायत पर उसे अपने संयोजन पर चैक मापक स्थापित करवाने का सुझाव दिया गया, परन्तु उसके द्वारा चैक मापक शुल्क जमा करने में काफी विलम्ब किया गया। परिवादिनी द्वारा दिनांक 26.05.2025 को चैक मापक फीस जमा की गई, जबकि दिनांक 02.06.2025 को पिरिवादिनी परिसरपर चैक मापक स्थापित किया गया, जबकि दिनांक 17.06.2025 को चैक मापक फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी परिसर पर स्थापित पुराना / मुख्य मापक सही पाया गया। इस मंच का मत है कि परीक्षण में सही पाए गए मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 47 / 2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री कुंवर सिंह, परिवादी
ग्राम टुकड़ी विछुआ, नानकमत्ता, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री कुंवर सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–882M306079868 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मापक खराब हो गया था जिस वजह से बिल अधिक आ रहा है। विभाग द्वारा मीटर तो बदल दिया गया है, परन्तु बिल सही नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में भी बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 03.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.06.2025 व 08.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1897 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 29.10.2023 के पश्चात् आर.डी.एफ. में निर्गत हुआ है और उनका विद्युत मापक दिनांक 04.02.2025 को परिवर्तित किया गया है। वर्तमान में नये मापक पर 401 पाठयांक यूनिट प्रदर्शित है। अतः दिनांक 29.10.2023 से दिनांक 04.02.2025 तक पुराने 03 माह एमयू के औसत (110 यूनिट / प्रतिमाह) पर एवं उनके उपरांत नये

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–47 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

मापक के पाठयांक के आधार पर परिवादी के विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 17644.00 का बना दिया गया है। परिवादी द्वारा मार्च 2020 के उपरांत विद्युत बीजक के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 48 / 2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री मुराद हुसैन, परिवादी
ग्राम पंचपेड़ा, पो0–जामौर, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री मुराद हुसैन का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH9N340152081 (05 किलोवाट नलकूप) का विद्युत बिल लगातार जमा किया जा रहा है फिर भी बिल अधिक प्रेषित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने नलकूप विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 03.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 13.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.06.2025 व 08.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–885 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत मापक की जांच की गयी जिसमें परिवादी का विद्युत मापक ठीक पाया गया। इसी क्रम में परिवादी के बिलिंग विवरण का भी अध्ययन किया गया, जिसमें परिवादी के विद्युत संयोजन हेतु निर्गत विद्युत बीजक आईडीएफ एवं 12 / 2017 में निर्गत त्रुटिपूर्ण बीजकों को पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए रू0 26836.12 का समायोजन दिया गया, जिसके उपरांत रू0 57892.90 का संशोधित बिल बना

क्रमशः 2.....

दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 28/2025–26 दिनांक : 08.07.2025

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गोपाल दास, परिवादी
ग्राम रजपुरा फतेहगंज, गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री गोपाल दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.05.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके नाम पर विद्युत संयोजन संख्या–RU0K000004342 (15 किलोवाट, औद्योगिक) चला आ रहा है, जोकि आटा चक्की का संयोजन है। पिछले कुछ महीनों से उनके उक्त संयोजन के बिल में ओवर लोड का चार्ज लगकर आ रहा है, जिससे उनका बिल बहुत अधिक धनराशि का हो गया है। उनके द्वारा विद्युत विभाग में अपनी मीटर की जांच कराने के लिए चैक मीटर हेतु आवेदन किया गया तथा दिनांक 13.01.2025 को रसीद संख्या–08/जी048772 के द्वारा चैक मीटर शुल्क रू0 826.00 भी जमा कराया गया। इसके उपरांत विद्युत विभाग के कर्मचारी उनके परिसर पर चैक मीटर लगाने आए, परन्तु पुराने मीटर में डिस्प्ले न होने का कारण बताते हुए उनके द्वारा चैक मापक स्थापित नहीं किया गया। इसके बाद खराब मीटर की शिकायत दर्ज कराने के उपरांत विभाग द्वारा पुराना मीटर बदलकर नया मीटर लगा दिया गया। उक्त मीटर बदलने के उपरांत उनको जो बिल प्राप्त हुए उनमें उनकी खपत सामान्य आई और ओवर लोड चार्जेज नहीं लगाए गए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित नये विद्युत मीटर के पाठ्यांक के आधार पर पूर्व में प्रेषित ओवर लोड चार्जेज वाले सभी त्रुटियपूर्ण बिलों को संशोधित करवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 14.05.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.05.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2.....

26.05.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.05.2025, 09.06.2025, 25.06.2025 व 07.07.2025 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2377 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को विद्युत बीजक मापक की रीडिंग के अनुसार ही प्रेषित किया गया है। परिवादी द्वारा विभागीय अभिलेख अनुसार 15 किलोवाट / 18 केवीए विद्युत भार का संयोजन लिया गया है है, परन्तु परिवादी को निर्गत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने के कारण विभागीय नियमानुसार परिवादी के विद्युत बीजक में Excess Demand Charges जोड़े गए हैं, जो बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। इसकी पुष्टि परिवादी के विद्युत संयोजन की बिलिंग हिस्ट्रीएवं एम.आर.आई. रिपोर्ट से भी की जा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 23.07.2015 को औद्योगिक संयोजन संख्या–RU0K000004342 निर्गत किया गया, जिसका वर्तमान में अनुबंधित विद्युत भार 15 किलोवाट है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 06.01.2024 को परिवादी के संयोजन पर पुराना मीटर बदलकर नया मीटर संख्या–9543282 स्थापित किया गया। उक्त नया मीटर स्थापित होने की तिथि से गाह 07 / 2024 तक परिवादी की मासिक विद्युत खपत 500 से 850 यूनिट के बीच दर्ज की गई। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 01 / 2024 से 07 / 2024 तक परिवादी की मासिक खपत कमशः 506, 691, 625, 788, 669, 569, 836 रही, जबकि जुलाई 2024 के उपरांत माह 08 / 2024 से माह 02 / 2025 तक परिवादी की मासिक खपत एवं अधिकतम डिमांड में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई, जोकि निम्नवत है.....

माह	खपत (यूनिट)	डिमाण्ड
फरवरी 2025	1129	—
जनवरी 2025	2209	25.90
दिसम्बर 2024	1633	27.33
नवम्बर 2024	3260	27.00
अक्टूबर 2024	1735	24.80
सितम्बर 2024	1408	19.50
अगस्त 2024	1114	19.82

मासिक खपत में हुई इस अप्रत्यशित वृद्धि के साथ ही परिवादी के मीटर में उसकी अधिकतम डिमांड भी अनुबन्धित विद्युत भार से अधिक दर्ज हुई, जिसके कारण विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के बिल में अनुबन्धित भार से अधिक भार का उपयोग करने की एवज में Excess Demand Charges भी जोड़ दिए गए। बिल में लगातार जुड़कर आ रहे Excess Demand Charges को देखते

क्रमशः 3.....

हुए परिवादी द्वारा दिनांक 13.01.2025 को चैक मापक शुल्क रू0 826.00 जमा करते हुए विपक्षी विभाग से उनके मापक का परीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के पुराने मापक में डिस्प्ले न होने का तर्क देते हुए परिवादी परिसर पर चैक मापक स्थापित नहीं किया गया। साथ ही, परिवादी का मीटर संख्या—9543282 उतारकर दिनांक 11.02.2025 को नया मापक संख्या—13500178 स्थापित कर दिया गया। उक्त नया मापक स्थापित होने के उपरांत परिवादी की मासिक खपत पुनः पहले की भांति सामान्य आने लगी। कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 03 / 2025 में परिवादी की मासिक खपत 474, माह 04 / 2025 में 538 व माह 05 / 2025 में 701 यूनिट दर्ज की गई।

उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि जुलाई 2024 के उपरांत परिवादी के मीटर में अचानक अत्यधिक खपत एवं अधिकतम डिमांड में अप्रत्याशित वृद्धि किस वजह से अंकित हुई, जबकि परिवादी की आटा चक्की में कोई नई मोटर अथवा अतिरिक्त विद्युत भार वाला कोई नया उपकरण भी स्थापित नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि संभवतः माह 07 / 2024 के उपरांत परिवादी के संयोजन पर स्थापित प्रश्नगत मीटर—9543282 में तकनीकी त्रुटि / खाभी आने के कारण मीटर द्वारा अधिक खपत एवं डिमांड अंकित की गई। परिवादी द्वारा उक्त प्रश्नगत मापक की जांच का अनुरोध किए जाने के बावजूद विपक्षी विभाग द्वारा मापक का परीक्षण करने के अपने दायित्व से सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ दिया गया कि उक्त मापक में डिस्प्ले नहीं है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा चैक मापक स्थापित कर दोनों मापकों की एमआरआई के माध्यम से रीडिंग अंकित कर प्रश्नगत मापक का तकनीकी परीक्षण किया जा सकता था, परन्तु विपक्षी विभाग द्वारा अपनी लापरवाह कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए यह अवसर स्वयं अपने हाथों से गंवा दिया गया। तकनीकी दृष्टि से भी यह संभव प्रतीत नहीं होता कि 15 किलोवाट वाले विद्युत संयोजन के जरिए लगभग दोगुना विद्युत भार का उपयोग लगातार 07 माह तक निर्बाध रूप से बिना किसी फाल्ट के किया जा सके।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि माह 07 / 2024 के उपरांत परिवादी का प्रश्नगत मीटर संख्या—9543282 त्रुटिपूर्ण हो गया। अतः इस मंच का मत है कि त्रुटिपूर्ण मीटर के आधार पर परिवादी को प्रेषित माह 08 / 2024 से 02 / 2025 तक के समस्त बिल निरस्त करने योग्य हैं। इस मंच का यह भी मत है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रश्नगत अवधि के बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर निर्गत किया जाना न्यायोचित होगा। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर शुल्क प्राप्त करने के बाद भी परिवादी के मीटर की जांच नहीं की गई, अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी से ली गई चैक मीटर फीस रू0 826.00 उसे वापस किया जाना भी न्यायोचित होगा।

क्रमशः 4.....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित माह 08 / 2024 से 02 / 2025 तक के समस्त बिल निरस्त किए जाते हैं। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को उक्त प्रश्नगत अवधि के बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर निर्गत करें। साथ ही परिवादी से ली गई चैक मीटर फीस रू0 826.00 भी उसे वापस करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मुयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 51 / 2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र भयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री जगतार सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, **परिवादी**
ग्राम लौका फार्म, सितारगंज।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी श्री जगतार सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 09.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–887H335053248 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत लोड 02 वर्ष पूर्व 02 किलोवाट कराया गया था। उसके उपरांत भी विभाग द्वारा रू0 66000.00 का बिल प्रेषित किया गया जो बहुत अधिक है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय के कई चक्कर लगाये परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.06.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.06.2025 व 08.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1889 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी का विद्युत मापक 06 / 2023 में बदलने के उपरांत परिवादी के माह 07 / 2023 के विद्युत बीजक में 8862 यूनिट पाठयांक प्रदर्शित है, जो कि गलत है, जबकि परिवादी के विद्युत मापक का वास्तविक पाठयांक 1886 यूनिट अंकित है। अतः परिवादी के

क्रमशः 2.....

विद्युत बीजक को मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक के आधार पर संशोधित करते हुए रू0 14781.35 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 56 / 2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मुकुरी मण्डल,
वार्ड नं0 01, गांधीनगर, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मुकुरी मण्डल की यह शिकायत दिनांक 11.06.2025 को नगर पंचायत भवन, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विभागीय कार्यालय में एक किलोवाट भार के घरेलू विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक संयोजन जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर 01 किलोवाट भार के घरेलू विद्युत संयोजन को लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्रांक–2242 दिनांक 25.06.2025 के माध्यम से इस मंच को अवगत कराया कि परिवादिनी द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र के साथ भूमि स्वामित्व से संबन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। भू–स्वामित्व के दस्तावेज न होने के कारण उनके प्रपत्र तहसील गदरपुर में भूमि सत्यापन हेतु भेजे गये है। तहसील से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही नियमानुसार परिवादिनी के नये विद्युत संयोजन का रजिस्ट्रेशन कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। विपक्ष विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–56 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंहनगर क्षेत्र

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह तहसील स्तर से परिवादिनी की भूमि सत्यापित होने के उपरांत उसके आवेदन पर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या भी 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 64 / 2025–26 दिनांक : **21.07.2025**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमकार राम,
श्याम ठाकुर आटा चक्की के पीछे, गौतमनगर, काशीपुर। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। **विपक्षी**

निर्णय

परिवादी श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमकार राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371CGH1073494 (04 किलोवाट घरेलू) का पिछले माह रू0 614.00 का बिल प्रेषित किया गया था जिसका भुगतान भी उनके द्वारा कर दिया गया था। लेकिन विभाग द्वारा उनको अचानक रू0 1,03,359.00 का बिल प्रेषित किया गया है, जो गलत एवं अत्यधिक धनराशि का है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर एवं विद्युत बिल की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 16.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5070 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर में दिनांक 09.05.2025 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। उक्त विद्युत मापक के MDMS Portal में गलत रीडिंग दर्ज होने के कारण परिवादी का विद्युत बिल गलत बन गया था। परिवादी का माह जून 2025 का त्रुटिपूर्ण बिल (रू0 1,03,342.00) को रोलबैक कर दिया गया है, जिसके उपरांत परिवादी पर वर्तमान में कोई बिल

क्रमशः 2.....

भुगतान हेतु लंबित नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 65/2025–26 दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री रवि रंजन,
भागीरथी अपार्टमेंट, सामियां लेक सिटी, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नीतू सिंह पत्नी श्री रवि रंजन राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K123393884 (02 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल के साथ पिछले 02 वर्षों से एएसडी किस्त राशि का गलत शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी उनके उक्त संयोजन के खाते में एएसडी रू0 1393.00 ही दिखाया जा रहा है और लम्बित एएसडी रू0 4013.00 दिखाया जा रहा है। जबकि हर माह विद्युत बिल के भुगतान के साथ एएसडी का भी भुगतान किया जा रहा है। जबकि पिछले 02 वर्षों से वह बिल के साथ एएसडी का भुगतान कर रहे है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के सापेक्ष वसूली गई एएसडी राशि समीक्षा कर विद्युत खाते में समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 16.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2249 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिल में चार्ज की जाने वाली ए.एस.डी.

क्रमशः 2.....

माननीय नियामक आयोग द्वारा निर्गत सप्लाई कोड के बिन्दु 4.2 में प्रदत्त नियमानुसार व कार्पोरेशन आदेश संख्या–390 / यूपीसीएल / आरएम / एफ–4 / दिनांक 25.01.2024 के द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये किये गये विद्युत बीजक के औसत के दो माह के बराबर जमानत धनराशि जमा की जानी है जिस कारण परिवादिनी से यह धनराशि जमा करायी जा रही है। परिवादिनी को विगत वित्तीय वर्ष (2024–2025) में निर्गत विद्युत बीजकों का विवरण व उसके सापेक्ष की जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा माह अप्रैल 2025 से जून 2025 में रू0 1095.00 की धनराशि जमा की गयी, जिसका विवरण दिनांक 07.05.2025 को रू0 365.00 व दिनांक 19.06.2025 को रू0 730.00 है। वर्तमान में परिवादिनी द्वारा जमा जमानत राशि कुल रू0 365.00 प्रतिमाह की दर से रू0 3283.00 शेष वांछित है। अतः परिवादिनी के विद्युत बिलों में वसूली जाने वाली जमानत धनराशि नियमानुसार है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन के आदेश की प्रति एवं परिवादिनी की जमानत धनराशि के विवरण की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी से माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection amd Related Matters) Regulation, 2020 के विनियम– 4.2 में प्रदत्त उपविनियमों एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या–390 दिनांक 25.01.2024 के अनुसार अतिरिक्त जमानत राशि (ASD) वसूल की जा रही है, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 66/2025–26 　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 21.07.2025

उपस्थितः 　श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूनम चन्याल पत्नी श्री बिरेन बहादुर, 　　　　　　　　　　परिवादी
बी3 थर्ड फ्लोर, प्रकाश रेजीडेन्सी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूनम चन्याल पत्नी श्री बिरेन बहादुर का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–377BCT1105398 (05 किलोवाट घरेलू) का माह जून 2025 का बिल रू0 2187.00 का प्रेषित किया गया है जबकि इस दौरान उनका उक्त परिसर बन्द था और मैन सप्लाई भी बन्द कर रखी थी फिर इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5080 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार सही प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–66 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार माह 11/2024 से माह 04/2025 तक परिवादिनी की मासिक विद्युत खपत क्रमशः 186 यूनिट, 190 यूनिट, 290 यूनिट, 254 यूनिट, 226 यूनिट, 264 यूनिट रही, जबकि माह 05/2025 में उसकी मासिक खपत बढ़कर 590 यूनिट व माह 06/2025 में 306 यूनिट पहुंच गई। विगत वर्षों की मासिक खपत के विवरण का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पूर्व के वर्षों में भी परिवादिनी की सर्दियों के महीनों में विद्युत खपत 150 यूनिट से 250 यूनिट के बीच रही, जबकि गर्मियों के महीनों में उसकी मासिक खपत बढ़कर 150–587 यूनिट के बीच रही। परिवादिनी की कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में उसकी सर्दी एवं गर्मी की विद्युत खपत में लगातार इसी प्रकार का समान ट्रेंड दृष्टिगत होता है। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर परिवादिनी को विद्युत बिल प्रेषित किया गया है, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 67/2025–26 दिनांक : **21.07.2025**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री आदिल, परिवादी
नियर ताज मस्जिद, विजय नगर नई बस्ती, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री आदिल का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी कालोनी विजय नगर नई बस्ती, काशीपुर में पिछले 02 सप्ताह से लगातार बिजली कटौती हो रही है। कई बार तो पूरी रात के लिए ही बिजली काट दी जाती है जिसकी सूचना भी नहीं दी जाती है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जेई से मुलाकात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त कालोनी का ट्रांसफार्मर कमज़ोर है वह इतना अधिक लोड नहीं ले पाता है इसलिए मजबूरन बिजली कटौती की जाती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त कालोनी/परिसर की उक्त समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5071 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के कालोनी क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण के उपरांत अपनी आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि दिनांक 10.06.2025 से 16.06.2025 के मध्य भीषण गर्मी में लोड बढ़ने के कारण एवं 15.06.2025 एवं 16.06.2025 को बारिश

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—67 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

के कारण जगह—जगह विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इसके पश्चात उक्त कालोनी व आसपास क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी (नगर), काशीपुर एवं अवर अभियन्ता की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। परिवादी द्वारा भी अपनी शिकायत का निस्तारण होने पर संतुष्टि प्रकट की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 68/2025–26 दिनांक : 22.07.2025

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री भगत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, परिवादी
प्लाट नं0 19, किच्छा रोड प्रबल ग्रीन, ग्राम बिगवाड़ा, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री भगत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A906615103 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जो दिनांक 18.05.2025 से दिनांक 15.06.2025 की अवधि हेतु बनाया गया है, वह अधिक राशि का है। इस बिल में विद्युत दरों को बढ़ाया गया है जबकि इसकी कोई भी सूचना विभाग की ओर से नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध विभागीय टोल–फ्री नं0 पर भी शिकायत की गई परन्तु कोई उचित/संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यदि विभाग की ओर विद्युत दरें बढ़ायी गयी है तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी गयी। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2394 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा इस मंच को निम्न बिन्दुवार अवगत कराया है कि:–

क्रमशः 2.....

1. टैरिफ निर्धारण एक वैधानिक एवं विनियमित प्रक्रिया है,
जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाता है। टैरिफ संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है जो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।
2. टैरिफ निर्धारण में पारदर्शिता और जन—सहभागिता सुनिश्चित की जाती है,
जिसमें टैरिफ के अनुमोदन से पूर्व, माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाती है, जिनमें उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को अपनी आपत्तियां और सुझाव करने हेतु आंमत्रित किया जाता है। इस प्रक्रिया की सूचना अग्रणी समाचार पत्रों और माननीय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है, जिससे अधिकतम लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके।
3. टैरिफ आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है,
जिसमें सभी सुझावों और आपत्त्यिों पर विचार करने के पश्चात् माननीय आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी किया जाता है, जिसमें सभी श्रेणियों हेतु लागू संशोधित शुल्क दरें विस्तृत रूप से वर्णित होती है। यह आदेश माननीय आयोग की वेबसाइट (www.uerc.gov.in) और उपाकालि की वेबसाइट (www.upcl.org) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, जिसे कोई भी उपभोक्ता आसानी से देख और डाउनलोड कर सकता है।
4. टैरिफ की जानकारी SMS के माध्यम से भेजने का कोई प्रावधान नहीं है,
विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि वर्तमान में माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ऐसी कोई बाध्यता निर्धारित नहीं की गई है, जिसमें इलैक्ट्रीसीटी टैरिफ की जानकारी प्रत्येक उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से एसएमएस अथवा मोबाईल नम्बर संचार के माध्यमों से भेजना अनिवार्य हो। फिर भी, उपाकालि द्वारा उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, वेबसाइट अथवा कार्यालय नोटिस आदि के जरिए अधिकतम जानकारी देने का निरंतर प्रयास करता है।
5. जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता के स्वयं की जिम्मेदारी भी है,
यह भी निवेदन है कि एक सतर्क उपभोक्ता के रूप में विद्युत शुल्क में संशोधन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के प्रति जागरूक रहना उपभोक्ता का दायित्व है, विशेषकर ज बवह जानकारी सार्वजनिक माध्यमों जैसे समाचार पत्र और वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो। साथ ही उपभोक्ता के विद्युत बिल में भी संशोधित दरे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, जिन्हें सार्वजनिक टैरिफ तालिका से मिलान किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा विद्युत दरें बढ़ाने से पूर्व विपक्षी विभाग द्वारा इसकी सूचना उनको नहीं दिए जाने के संबन्ध में शिकायत की गई है। यह सर्वविधित तथ्य है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक निर्धारित प्रकिया के तहत विद्युत दरों का निर्धारण करने के उपरांत टैरिफ आदेश जारी किया जाता है, जिसकी सार्वजनिक सूचना माननीय

क्रमशः 3.....

परिवाद संख्या–68 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आयोग एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध की जाती है। इसके अतिरिक्त समाचार माध्यमों में भी टैरिफ आदेश एवं नई विद्युत दरों का विस्तृत प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित विद्युत बिलों में भी तत्समय लागू विद्युत दरें अंकित की जाती है। चूंकि उपभोक्ताओं को इसके अतिरिक्त पृथक से नई विद्युत दरों की सूचना उपलब्ध कराना विपक्षी विभाग का दायित्व नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 70/2025–26 दिनांक : 22.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती अन्नपूर्णा वास्ते श्री श्वेता, परिवादी
183/51, आवास विकास, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती अन्नपूर्णा की ओर से श्री श्वेता का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8913441066036 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले माह रू0 916.00 का आया था। इस बार उक्त परिसर बन्द होने के कारण मीटर रीडर द्वारा बिना रीडिंग लिए ही रू0 2703.00 का बिल प्रेषित किया गया है, जो वास्तविक खपत से तीन गुना अधिक का है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2603 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के माह 06/2025 (दिनांक 10.05.2025 से दिनांक 11.06.2025 तक) का विद्युत बीजक बिलिंग एजेंसी द्वारा एनए के आधार पर रू0 2703.00 का

क्रमशः 2.....

निर्गत किया गया था। उक्त परिवादिनी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने पर मापक संख्या—61770604 में वर्तमान रीडिंग 28978 केडब्लूएच अंकित है। उक्त वर्तमान रीडिंग के आधार पर परिवादिनी के विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 1103.00 का बना दिया गया है, जिसका भुगतान भी परिवादिनी द्वारा दिनांक 17.06.2025 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 72/2025–26 दिनांक : 22.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेम कुमार,
गली नं0 06, शक्ति विहार, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री प्रेम कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनकी गली नं0 06, शक्ति विहार कालोनी नियर अटरिया मन्दिर, रूद्रपुर में 11000 केवीए की विद्युत लाईन गुजर रही है जिस पोल से गुजर रही है वह लोहे का हुआ है और नीचे की ओर से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। स्थानीय निवासियों को खतरा है कि कहीं भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी न हो जाये। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपनी उक्त कालोनी के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2621 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की कालोनी में विद्युत पोल सम्बन्धी शिकायत पर सम्बन्धित पोल को नीचे से वेल्डिंग की मदद से रिपेयर कराकर सही कर दिया गया है। उपरोक्त विभागीय कार्यवाही पर परिवादी ने अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से इस मंच के समक्ष प्रकट की है। विपक्षी

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या–72 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मर्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 73 / 2025—26 दिनांक : **22.07.2025**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पूजा विष्ट पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, — परिवादी
43 वनखण्डी कालोनी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर—1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूजा विष्ट पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या—892A212172029 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बनाते समय मीटर रीडर द्वारा बिल में गलत रीडिंग 17779 दर्ज की गयी है जबकि उनके मीटर में वास्तविक रीडिंग 17329 दर्ज है। मीटर रीडर द्वारा 450 अधिक रीडिंग दर्ज करते हुए गलत बिल प्रेषित किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर—1 को अपने पत्र दिनांक 23.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.06.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2602 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के माह 06 / 2025 (दिनांक 23.05.2025 से दिनांक 22.06.2025 तक) का विद्युत बीजक बिलिंग एजेंसी के द्वारा 17779 केडब्लूएच दर्ज करते हुए

क्रमशः 2.....

रू0 4632.00 का निर्गत किया गया था। परिवादिनी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने पर उसके मापक संख्या—40005994 में दर्ज वर्तमान रीडिंग 17329 केडब्लूएच पायी गयी, जिसके उपरांत परिवादिनी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक को उक्त वर्तमान रीडिंग के अनुसार संशोधित कर रू0 1113.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मग्राल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 75 / 2025–26 दिनांक : 22.07.2025

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती बसन्ती देवी वास्ते श्री नवीन चमोलिया,
ग्राम अमाऊं, खटीमा। **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा। **विपक्षी**

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती बसन्ती देवी की ओर से श्री नवीन चमोलिया का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2K242124868 (01 किलोवाट घरेलू) पर उनके द्वारा दिनांक 11.09.2024 को सोलर पैनल लगवाया गया था जिसका ऑन ग्रिड सोलर मीटर एवं अन्य औपचारिकताएं विभागीय कार्यालय के माध्यम से पूरी हो चुकी है लेकिन विभाग द्वारा आज दिनांक तक विद्युत बिल प्रेषित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में कई बार सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठ्यांक के आधार पर विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 24.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1078 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 05.10.2024 को अपने उक्त परिसर पर सोलर मापक स्थापित कराया गया है। परिसर पर स्थापित सोलर विद्युत मापक का पाठ्यांक

क्रमशः 2.....

Import 2834 kwh, Export 1966 kwh, जिसका अंतर 868 kwh के आधार पर परिवादिनी को विद्युत बिल जारी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चेन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 76/2025–26 **दिनांक : 22.07.2025**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती स्वाती अरोरा पत्नी श्री सतीश अरोरा, **परिवादी**
वार्ड नं0 01, फुलसुंगा, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती स्वाती अरोरा पत्नी श्री सतीश अरोरा का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.06.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212206865 (02 किलोवाट घरेलू) जो मई 2025 में ही लिया गया है जो वर्तमान में ऊर्जीकृत है। उक्त संयोजन ऊर्जीकृत होने के उपरांत विभाग द्वारा एक भी बिल जारी नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में कई बार सम्पर्क किया गया, लेकिन आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित नये विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 25.06.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 05.07.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.07.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.07.2025 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2635 दिनांक 05.07.2025 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्मार्ट मापक संख्या–12037282 (02 किलोवाट भार) के नये विद्युत संयोजन के सापेक्ष स्थापित किया गया है। उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित स्मार्ट मापक संख्या–12037282 का वर्तमान विद्युत बीजक निर्गत हेतु मै0 अडानी एनर्जी

क्रमशः 2.....

परिवाद संख्या—76 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

सोल्यूशन के सर्किल सुपरवाइजर के साथ उपाकालि के आर.ए.पी.डी.आर.पी. बिलिंग अनुभाग से सम्पर्क किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के विद्युत बीजक निर्गत करने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, जिसका समाधान होते ही परिवादिनी का विद्युत बीजक निर्गत कर दिया जायेगा। वर्तमान में परिवादिनी का माह 07 / 2025 में दिनांक 05.07.2025 तक का संशोधित विद्युत बीजक निर्गत कर दिया गया है, जिसके सापेक्ष परिवादिनी पर माह 07 / 2025 में निर्गत विद्युत बीजक रू0 455.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य